labour to ensure equal wages for both alongwith the details thereof;

(b) whether it is also a fact that this move on the part of Government will encourage more employment of child labour rather than eliminating it, if so, the details thereof;

(c) what are the details of hazardous operations and processes banned for child labour;

(d) whether the category of banned hazardous operations has successfully debarred the employers of child labour, if not, the detailed reasons therefor; and

(e) the number of prosecutions of defaulting employers launched during the last three years, alonghwith the details thereof, Statewise ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LOBOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (b) No, Sir.

(c) The occupations and processes where engagement of child is prohibited are listed in Parts A & B of the Schedule to the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986.

(d) As the problem of child labour has its roots in the socio-economic complexities prevailing in the country, complete success in debarring the employers from engaging child labour has not yet been possible.

(e) As reported by the State Govts., the number of prosecutions during the last three years, State-wise is as follows :

States	1990-91	1991-92	1992-93
Madhya Pradesh	387	—	—
Punjab	448	345	—
Tamil Nadu	4	59	14
Uttar Pradesh	727	887	361
Rajasthan	—	—	3

सन् 2002 तक बेरोज़गार युवकों का आकलन

2465. **श्री विरेन जे. शाह :**
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2002 तक देश में बेरोज़गार युवकों की संख्या 940 लाख हो जाने का अनुमान है ;

(ख) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी बड़ी संख्या में नवयुवक बेरोज़गार थे;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) देश में सन् 2002 तक 940 लाख रोजगार के इच्छुक युवकों में से विभिन्न श्रेणियों जैसे शिक्षित, अशिक्षित, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कुशल और अकुशल व्यक्तियों की कितनी संख्या होने का अनुमान है; और

(ङ) सभी को रोज़गार देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने किस वार्षिक दर पर रोज़गार के अवसर बढ़ाने का निश्चय किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) जी, हां । 1992-2002 की अवधि के दौरान रोज़गार चाहने वालों की अनुमानित संख्या 940 लाख है । इसमें 230 लाख व्यक्तियों का अनुमानित बैकलॉग तथा आठवीं योजना के आरम्भ में श्रम बल में 710 लाख नए व्यक्ति शामिल है ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित रोज़गार एवं बेरोज़गारी संबंधी अन्तिम व्यापक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 1987-88 में बेरोज़गार व्यक्तियों में से लगभग 68 प्रतिशत व्यक्ति 15-29 वर्ष के आयु समूह के थे । आठवीं योजना में परिकल्पित रोज़गार नीति और नौवीं योजना के दौरान इसे जारी रखने से सन 2002 ईसवी तक लगभग पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त कर लेने की आशा है । इस प्रक्षेपण में अंतर्निहित रोज़गार की वृद्धि दर प्रतिवर्ष लगभग 2.7 प्रतिशत होगी ।

ठेकाश्रम अधिनियम का उल्लंघन

2466. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ठेकाश्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम का उल्लंघन किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है व सभा पटल पर रख दी जायेगी ।